(2)

जनवानी राकेश कुमार बनाम स्टेट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र. स. 62/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/4/24	वादी राकेश कुमार द्वारा अन्तर्गत 88 RTA के मह वाद पेश किया जिसमें चक 14 NDR CAD (RAHIT) के खाता सं. 67/76 (61) तादादी 3.720 है. में वादी का नाम राकेश कुमार वल्द रतीराम दर्ज नहीं होकर मुकेश कुमार वल्द रतीराम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि वादी द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 09-02-01 से खरीद शुदा है वरवक्त बैयनामा वादी को राकेश कुमार व मुकेश कुमार दोनों नामों से जाना जाता था व राकेश कुमार व मुकेश कुमार एक ही व्यक्ति के नाम थे, बैयनामा मे वादी का नाम मुकेश कुमार लिखवा दिया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान जमाबंदी में वादी का नाम मुकेश कुमार दर्ज रिकॉर्ड है वादी रतीराम का इकलौता वारिस है तथा वादी के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र राकेश कुमार वल्द रतीराम के नाम से जारीशुदा है इसलिए वादी द्वारा उक्त राजस्व रिकॉर्ड में मुकेश कुमार की जगह राकेश कुमार किए जाने का अनुतोष जरिये वाद पत्र चाहा गया है। वाद पत्र रजिस्टर दर्ज किया गया। जवाब स्टेट पेश किया गया जिसमें राजहित सुरक्षित रखते हुए दुरुस्ती किए जाने पर अनापत्ति जाहिर की गई, जवाब स्टेट शामिल रहे। पत्रावली अवलोकन किया जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत आधार, पैन व मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम राकेश कुमार वल्द रतीराम दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15/04/2024 जिसमें मुकेश कुमार व राकेश कुमार एक ही व्यक्ति के नाम है तथा रिकॉर्ड में मुकेश कुमार की जगह राकेश कुमार किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसलिए वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि चक 14 NDR CAD (RAHIT) के खाता सं. 67/76 (61)	

लगातार -- -1/2

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.06 17:11:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व... जो इस...
	कुल तादादी रकबा 3.7120 है. में दर्ज खातेदार मुकेश कुमार वल्द रतीराम की जगह राकेश कुमार वल्द रतीराम दुरुस्त करने के आदेश दिए जाते हैं शेष प्रविष्टि यथावत रहें। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत खाता स्थगन या विवाद आदि से प्रभावित नहीं हो तो आदेशानुसार अमलदरामद करावें। यह आदेश आज दिनांक 22/04/24 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।	2/2

Divya

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.06 17:11:57
Reason: SelfAttested